

फलिसितीन की संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के संबंध में UNGA प्रस्ताव

स्रोत: द हिंदू

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA) ने फलिसितीन को नए "191वाँ सदस्य" देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया तथा सुरक्षा परिषद (Security Council) से संयुक्त राष्ट्र का 194वाँ सदस्य बनने के उसके अनुरोध पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया।

- प्रस्ताव "निरधारित" करता है कि फलिसितीन राज्य सदस्यता के लिये योग्य है और सुरक्षा परिषद को उसके अनुरोध पर "अनुकूल रूप से" पुनर्विचार करने की सफारिश करता है।
 - प्रस्ताव फलिसितीन को सभी मुद्दों पर प्रस्तावित एजेंडा मदों (items) पर बोलने और संयुक्त राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का अधिकार देता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहता है कि फलिसितीन को महासभा में वोट देने का अधिकार नहीं है।
- भारत ने फलिसितीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता की सफारिश करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
 - अमेरिका के विरोध के बावजूद, प्रस्ताव के पक्ष में 143 वोट मिले, जो संयुक्त राष्ट्र के भीतर फलिसितीन की स्थिति के उन्नयन के लिये वैश्विक दबाव का संकेत है।
- फलिसितीन ने पहली बार 2011 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिये आवेदन दिया था, जो सुरक्षा परिषद में आवश्यक समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा।
 - इसके बाद, महासभा ने 2012 में फलिसितीन की स्थिति को एक गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य में अपग्रेड कर दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी की अनुमति मिल गई।
 - संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण फलिसितीन सदस्यता के लिये नए सिर से दबाव तब आया है जब गाज़ा में युद्ध ने 75 साल से अधिक पुराने इज़रायली-फलिसितीनी संघर्ष पुनः उजागर कर दिया है।

How a State becomes a member of United Nations

Country submits application to UN Secretary-General

The UN "is open to all other peace-loving States which accept the obligations contained in the present UN Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations."

Security Council considers application

Required: Nine affirmative votes from SC and no veto or negative vote from any of five permanent members

If application passes through Security Council, it goes to the General Assembly

Required: Resolution for membership must get two-thirds votes

Membership becomes effective

On the date the resolution for admission is adopted

और पढ़ें: [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/unga-resolution-for-palestine-s-un-membership-bid>